

सेवा में,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
एटा।

सेवा में,

प्रबन्धक

~~सेन्ट जॉसफ स्कूल विदराम गेट~~
~~कासगंज नरेश्वर कासगंज~~

पत्रांक: अ0मा0 / 5508-12 / 2007-08

दिनांक: 1/10/07

विषय- प्राइमरी स्तर की नवीन अस्थाई मान्यता प्रदान करने के सम्बन्ध में-

महोदय/महोदया,

उपर्युक्त विषय के सन्दर्भ में प्राथमिक स्तर की जनपदीय मान्यता समिति की बैठक दिनांक 29-9-2007 के प्रस्ताव संख्या 9 में लिये गये निर्णय के अनुसार आपके विद्यालय को प्राइमरी स्तर की नवीन अस्थाई मान्यता शिक्षा सत्र 2007-08 (01 जुलाई 2007) से निम्न प्रतिबन्धों के साथ प्रदान की जाती है।

1. पांच वर्ष की अवधि के अन्तर्गत सभी निर्धारित शर्तों को पूर्ण करके स्थाई मान्यता हेतु आवेदन करना अनिवार्य है।
2. विद्यालय को प्रदान की गयी मान्यता पांच वर्ष के लिये ही मान्य है।
3. विद्यालय का अवैध कक्षाओं का संचालन कदापि न किया जाये।
4. विद्यालय में विभागीय निर्धारित पाठ्य पुस्तकें ही पढ़ाई जाये।
5. प्रशिक्षित अध्यापकों की ही व्यवस्था की जाये।
6. यदि आप द्वारा प्रस्तुत पत्रावली/आवेदन में किसी तथ्य को छिपाया या गलत पाया जाता है तो प्रदान की गयी मान्यता का प्रत्याहरण कर लिया जायेगा।

भवदीय

(आर0के0 पण्डित)

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी

एटा

1/10/07

पृ0सं0:अ0मा0 /

/ 2007-08

दिनांक वही

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. जिला समाज कल्याण अधिकारी, एटा।
2. जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, एटा।
3. उप-बेसिक शिक्षा अधिकारी, एटा।
4. सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी.....
5. नगर शिक्षा अधिकारी.....

कासगंज

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी

एटा

17/10/07